सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 775 राँची, बुधवार 8 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

15 मार्च, 2018

कृपया पढें-

1. उपायुक्त, गुमला का पत्रांक-10(ii)/स्था०, दिनांक 4 जनवरी, 2016 एवं पत्रांक-924(ii)/स्था०, दिनांक 11 अगस्त, 2016
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-933, दिनांक 2 फरवरी, 2016; अ०स०प०सं०-5722, दिनांक 5 जुलाई, 2016; संकल्प सं०-8023, दिनांक 16 सितम्बर, 2016; पत्रांक-6285, दिनांक 17 मई, 2017; पत्रांक- 8387, दिनांक 26 जुलाई, 2017; पत्रांक-11519, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 एवं पत्रांक-416, दिनांक 15 जनवरी, 2018
3. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-85, दिनांक 2 मार्च, 2017
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-516, दिनांक 22 फरवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-40/2015 का०-222 (HRMS)-- श्री सतीश कुमार (द्वितीय 'सीमित' बैच), झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट गुमला, सम्प्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू के विरूद्ध उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-10(ii)/स्था०, दिनांक 4 जनवरी, 2016 द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में सरकारी नियम का उल्लंघन करते हुए परिवादी श्री मुकुट एक्का, जिला राँची से दस हजार रूपये घूस लेने संबंधी आरोप प्रपत्र 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया । श्री कुमार

के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित कर श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान दिनांक 28 सितम्बर, 2014 से 14 जुलाई, 2015 तक इनके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में सरकारी नियम का उल्लंघन करते हुए पालकोट प्रखण्ड के अंतर्गत ग्राम कोयनजाली, पंचायत-बंगरू अन्तर्गत मनरेगा योजना के तहत जामुनीजाम से लिटीया बगीचा तक 1.5 (डेढ़) किलो मीटर मोरम पथ निर्माण कार्य में मास्टर रॉल पास करने के एवज में 10,000/-(दस हजार रूपये) घूस लेते हुए निगरानी ब्यूरो राँची टीम के द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये। जिसका निगरानी थाना काण्ड संख्या-36/15 दिनांक 14 जुलाई, 2015 है ।

आरोप सं०-2. श्री सतीश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट के उक्त कृत्य से सरकारी नियम का उल्लंघन कर प्रत्यक्ष रूप से रिशवत लेने के कारण सरकारी राशि की काफी क्षति के साथ-साथ सरकार की छवि धूमिल हुई ।

आरोप सं०-3. श्री सतीश कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट के द्वारा उक्त कृत कार्य सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित करता है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(i) के प्रतिकूल आचरण है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-933, दिनांक 2 फरवरी, 2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा इसके लिए स्मारित भी किया गया, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 25 अप्रैल, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसके उपरांत विभागीय अ०स०प० सं०-5722, दिनांक 5 जुलाई, 2016 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गुमला से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-924(ii)/स्था०, दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

विभाग द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, गुमला के मंतव्य का समीक्षा किया गया । समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-8023, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-85, दिनांक 2 मार्च, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपों का प्रमाणित पाया गया है ।

श्री कुमार विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एंव संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सरकारी सेवा से मुक्त करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक-6285, दिनांक 17 मई, 2017 श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी ।

श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-8387, दिनांक 26 जुलाई, 2017 एवं पत्रांक-11519, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 द्वारा स्मारित किया गया तथा पत्र में यह अंकित किया गया की विहित अवधि में उत्तर अप्राप्त रहने पर विभाग द्वारा एकपक्षीय

निर्णय ले लिया जाएगा । फिर भी श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित नहीं किया गया है ।

श्री कुमार को अंतिम अवसर देते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पुनः 7 दिनों के भीतर द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अंतिम रूप से समर्पित करने का अनुरोध किया गया तथा यह भी सूचित किया गया कि उत्तर अप्राप्त रहने पर यह समझा जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा विभाग द्वारा एकपक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री कुमार का उत्तर अप्राप्त रहने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत सरकारी सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-416, दिनांक 15 जनवरी, 2018 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची से श्री कुमार को सेवा से मुक्त किये जाने के संबंध में सहमति की माँग की गयी ।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-516, दिनांक 22 फरवरी, 2018 द्वारा श्री कुमार को सेवा से मुक्त करने के संबंधी दण्ड पर सहमति प्रदान की गयी है ।

तत्पश्चात् दिनांक 13 मार्च, 2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री सतीश कुमार को सेवा से मुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

अतः श्री सतीश कुमार (द्वितीय 'सीमित' बैच), झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पालकोट गुमला, सम्प्रति-कार्यपालक दण्डाधिकारी, पलामू को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सेवा से मुक्त किया जाता है।

Sr. No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	2	3
1	SATISH KUMAR JHK/JAS/253	श्री सतीश कुमार (द्वितीय 'सीमित' बैच), झा०प्र०से० को सेवा से मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2502

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 775 -- 50